



353/1

दरमाप- 2286709  
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2545 / 05 / 76 / एक / 2015-16  
सेवा में,

दिनांक : 15 सितंबर 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण

जनपद लखनऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झुड़ा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में स्वीकृत परियोजनाओं की घनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

घनराशि का प्रेषण (लाख रु0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईफएससी कोड	घनराशि
एव०३००५००३००३०० बैंक	50100099245715	IFSC Code HDFC0001112	153.580
(घनराशि लाख रु0 में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/ मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/ गांड का नाम	प्रथम किश्त की घनराशि का प्रेषण
1	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम के अन्तर्गत केशव नगर में परवेज अहमद के मकान से फयूखान अहमद, जमील, हलीमदीन खान के मकान होते हुये इदरीश खान, तहरीर राजान अली, गो. जफर, इरफान अहमद सजजाद के मकान होते हुये अली अखवर के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	26.326
2	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम के अन्तर्गत कसाईबाड़ा में हनुमान के मकान से अली अहमद, मंगल, पप्पू रिजवान से तौफीक अहमद, बबलू रावत, रहीम के मकान होते हुये रियाज अहमद अनीश अहमद से मडियौव थाना तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	16.940
3	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम के अन्तर्गत परियाना में राम प्रताप रावत, दाताराम रामसेवक के मकान होते हुये देवनाथ रेनू गौतम, राम कुगार रावत, शिवशंकर, महेन्द्र, संजय के मकान होते हुये मदन कुमार, नीरज, गहेश, गंगाराम ओमप्रकाश रावत, केशव नगर पुलिस चौकी तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	28.937
4	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज वार्ड-प्रथम के अन्तर्गत खदरी में खेलावन गौतम के मकान से भूपेन्द्र कुमार, पप्पू डा० बदर, मो० इस्ताम, रन्जाब अली होते हुये जय करन, मीरादेवी, नरेन्द्र वर्मा होते हुये वकील, अनिल कुमार, जितिन के मकान तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	46.149
5	लखनऊ	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०नि० लखनऊ	फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम के अन्तर्गत मोहिबुल्लापुर चमरही में महबूब अली से सरीफ, वीरेन्द्र कुमार, खुशीलाल के मकान होते हुये कमल, डल्ला भास्टर, कल्लू नेता राजेन्द्र होते हुये, देशराज गुडहू चौरसिया तक नाली व इंटरलाकिंग का कार्य।	35.228
	योग				153.580

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में रु०३०० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य रामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:



353/2

दूसरा 2286709  
2286710

नव चंतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 220001

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- उम्रो सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शाही क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वर्सितयों में री०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये। स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये। प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्रम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्वेत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हरतान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रखा रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें। प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजने के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगान के सापेक्ष प्रथम किशत की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

  
(लल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।
- अधिकारी अभियन्ता-सूडा
- कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

  
(लल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक